राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार-निष्पादन वर्ष 2013

NATIONAL SAFETY AWARDS

Performance Year - 2013

निर्देश पत्र / INSTRUCTION SHEET

1. **विस्तार-क्षेत्रः योजनाएं** XI **और** XII **सभी मुख्य पत्तनों पर काम करने वाले नौभरक, पत्तन प्राधिकारियों और अन्य नियोक्ताओं पर लागू है।**

   SCOPE: Scheme XI & XII are applicable to Stevedores, Port Authorities and other employers of all the major ports.

2. **राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार का आधारः**

   BASIS OF NATIONAL SAFETY AWARDS

योजना XI : पोत पर काम करने के लिए (निम्नतम औसत आवृति दर पर आधारित)
Scheme XI : For work on Ships (Based on Lowest Average Frequency Rate)

भारी तेलवाहक छोड़कर, पोत पर किसी भी कार्गो को संचालित करने वाले उन नियोक्ताओं को तीन पुरस्कार दिए जाते हैं, जो निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर लगातार तीन वर्षों की अवधि में निम्नतम औसत आकलित आवृति दर प्राप्त करते हैं। एक पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर लगातार तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 1,00.000 श्रम घंटे कार्य करते हैं। दूसरा पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो लगातार तीन वर्षों में से हरेक वर्ष के दौरान कम से कम 50,000 श्रम घंटें, लेकिन 1,00.000 से कम श्रम घंटे कार्य करते हैं और तीसरा पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो लगातार तीन में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 25,000 श्रम घंटे, लेकिन 50,000 से कम श्रम घंटे कार्य करते हैं। प्रत्येक समूह के अंतर्गत हरेक विजेता और उप विजेता को एक शील्ड दी जाती है। पुरस्कार विजेताओं को एक योग्यता प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।

Provides for the grant of three awards to employers handling any cargo, except bulk oil on board the ship who achieves the lowest average weighted frequency rate of accidents over a period of three consecutive years ending in the performance year. One award is for employers who work a minimum of 1, 00,000 man hours during each of the three consecutive years ending in the performance year. The second award is for employers who work a minimum of 50,000 man hours but less than 1, 00,000 man hours and the third award is for employers who work a minimum of 25,000 man hours but less than 50,000 man hours during each of the three consecutive years. Under each group a shield is given to each of the winner and the runner-up. A certificate of merit is also given to the award winners.

योजना XII : तट पर काम करने के लिए (निम्नतम औसत आवृति दर पर आधारित)
Scheme XII: For work on Shore (Based on Lowest Average Frequency Rate)

तट पर स्थित पत्तन प्राधिकारियों सहित, उन नियोक्ताओं को तीन पुरस्कार दिए जाते हैं, जो निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर लगातार तीन वर्षों की अवधि में निम्नतम औसत आकलित दर प्राप्त करते हैं। एक पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो निष्पादन वर्ष की समाप्ति पर लगातार तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2,50,000 श्रम घंटे कार्य करते हैं। दूसरा पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है, जो लगातार तीन वर्षों में से हरेक वर्षों के दौरान कम से कम 100,000 श्रम घंटे, लेकिन 2,50,000 से कम श्रम घंटे कार्य करते हैं और तीसरा पुरस्कार उन नियोक्ताओं के लिए है जो लगातार तीन में से प्रत्येक वर्ष में कम से कम 25,000 श्रम घंटे, लेकिन 100,000 से कम श्रम घंटे कार्य करते हैं। प्रत्येक समूह के अंतर्गत हरेक विजेता और उप विजेता को एक शील्ड दी जाती है। पुरस्कार विजेताओं को एक योग्यता प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।

Provides for the grant of three awards of employers handling any cargo, except bulk oil on shore the ship who achieves the lowest average weighted frequency rate of accidents over a period of three consecutive years ending in the performance year. One award is for employers who work a minimum of 2, 50,000 man hours during each of the three consecutive years ending in the performance year. The second award is for employers who work a minimum of 100,000 man hours but less than 2,50,000 man hours and the third award is for employers who works a minimum of 25,000 man hours but less than 100,000 man hours during each of the three consecutive years. Under each group a shield is given to each of the winner and the runner-up. A certificate of merit is also given to the award winners.

3. निष्पादन वर्ष / PERFORMANCE YEAR

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2013 के लिए वर्ष 2013 (01जनवरी - 31दिसंबर, 2013) निष्पादन होगा।
The performance year for National Safety Awards 2013 will be 2013 (01 January – 31 December 2013)

4. पुरस्कार/ PRIZE

हरेक योजना के अंतर्गत हर पुरस्कार दिए जाएंगे। योजना XI और XII में तीन (3) पुरस्कार देने का प्रावधान है, हरेक पुरस्कार के तहत, विजेता को एक शील्ड एवं एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

The National Safety Awards under each Scheme will be granted every year. The Scheme XI & XII provides for the grant of three (3) Awards. Under each Award, the Winner and Runner up will be presented a Shield and a Certificate of Merit.

5. पुरस्कार समिति/ AWARDS COMMITTEE

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के न्यायनिर्णयन देने के लिए एक त्रिपक्षीय पुरस्कार समिति का गठन करेगा। इस समिति में कम से कम पांच सदस्य होंगे, जिनका चयन मुख्यतः उनकी तकनीकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। इन पुरस्कारों के बारे में पुरस्कार समिति का निर्णय भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अनुमोदन के बाद होगा और यह निर्णय अंतिम होगा। पुरस्कार समिति किसी भी कारण से, जिसे वह उचित समझे, पुरस्कार की संख्या कम कर सकती है या अनुसूची में दिए गए किसी भी पत्तन / कंपनी को पुरस्कार न देने का फैसला कर सकती है।

The Ministry of Labour & Employment shall constitute a Tripartite Award Committee to scrutinize and adjudge the applications received for the grant of the National Safety Awards. This committee shall consist of not less than five members selected solely on the basis of their technical ability and experience. Any decision of the Awards Committee in respect of prizes shall be subject to the approval of the Government of India, Ministry of Labour & Employment, whose decision shall be final. The Committee may reduce the number of awards or decide not to give an award to any of the ports/companies for any reason it may consider fit.

6. प्रवेश शुल्क/ ENTRY FEE

हरेक योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि के लिए 200/-रु मूल्य का रेखांकित ड्राफ्ट **"सचिव, राष्ट्रीय पुरस्कार समिति'** के नाम से , किसी भी अनुसूचित बैंक पर **मुंबई** में देय, प्रवेश शुल्क के रूप में संलग्न होना चाहिए। प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

Entry under each Scheme will be accompanied by Crossed Demand Draft for a sum of Rs.200/- drawn in favour of **Secretary, National Safety Awards Committee,** payable at any scheduled bank in **Mumbai**. Entry fees, once paid, will not be refunded.

7. आवेदनपत्र प्रस्तुत करना/ SUBMISSION OF APPLICATION FORM

श्रम घंटों एवं दुर्घटनाओं तथा / या दुर्घटना मुक्त वर्ष संबंधित सूचना को, अपने पत्तन के गोदी सुरक्षा निरीक्षक से आवेदनपत्र की मद संख्या 6 पर दिए गए प्रमाणपत्र में आवश्यक सत्यापन करवाने के बाद, भरे हुए आवेदनपत्र आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट सहित निम्न पते पर **अंतिम तारीख (15.10.2014)** तक या उससे पहले भेज देः

सचिव

'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति'

कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय

क्षेत्रीय श्रम संस्थान,

सेक्टर - 47 फरीदाबाद

हरियाणा - 121010.

टेलीफोन – **0129-2468022, 0129-2468215**

फेक्स – **0129-2468219**

Duly filled in Application Form after necessary verification of the information pertaining to man-hours and accidents and / or accident free year from the Dock Safety Inspector having jurisdiction over your port in a certificate given under item No.6 of the application form along with required demand draft should be sent on or before the closing date **(15.10.2014)** to:

THE SECRETARY
NATIONAL SAFETY AWARDS COMMITTEE
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE SERVICE & LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE CAMPUS
SECOR-47, FARIDABAD
HARYANA-121010.
Telephone No. – 0129-2468022, 0129-2468215

टिप्पणीः **किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।**

NOTE: **Incomplete application form in any manner is liable to be rejected.**

8. यह आवेदनपत्र डीजीफासली की वेबसाइट www.dgfasli.nic.in पर भी उपलब्ध है।

This application form is also available on the website of DGFASLI. www.dgfasli.nic.in

फॉर्म- रा.सु.पुः पत्तन एवं गोदी आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15.10.2014

FORM – NSA: PORTS & DOCKS Last date for receipt of application: 15.10.2014